# कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल

(योजना एवं लेखा–शाखा)

पत्रांक 540 /

प्रेषक : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
योजना एवं लेखा, सुपौल।

सेवा में,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
NIC , सुपौल।

सुपौल, दिनांक 31 अक्टूबर, 2019

**विषय : कोचिंग संस्थानों के निबंधन हेतु आवेदन का प्रारूप जिला NIC , के वेबसाईड पर अपलोड करने के संबंध में।**

महाषय,

उपर्युक्त विषयक् कोचिंग संस्थानों के निबंधन हेतु आवेदन का प्रारूप जो जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा अनुमोदित है जिला NIC के वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र जिला NIC , के वेबसाईड पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– यर्थोक्त।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
योजना एवं लेखा, सुपौल।

# –कोचिंग संस्थानों के निबंधन हेतु आवेदन का प्रारूप–

## (जिला–सुपौल)

कोचिंग संस्थान (10 से अधिक छात्र/छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा अथवा विभिन्न बोर्ड के पाठ्यक्रमों की तैयारी के लिए शैक्षणिक अनुसमर्थन देना) स्थापित/ स्थापित करने/चलाने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से विहित प्रपत्र में आवेदन कोचिंग संस्थान को निबंधित करने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत सुपौल जिले में संचालित निजी कोचिंग संस्थान के प्रबंधकों से आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित किया जाता है :–

### –:आवेदन पत्र का प्ररूपः–

1. कोचिंग संस्थान का नाम एवं पूर्ण पताः–..........................................................................

   (प्रखंड/पंचायत/वार्ड का नाम सहित)

2. प्रबंधक का नाम एवं पूर्ण पता तथा मोबाईल नम्बरः–..........................................................
3. शिक्षण फीस (प्रति छात्र/छात्रा)..........................................................................रूपया।
4. शिक्षकों की कुल संख्याः–..........................................................................................
5. वर्तमान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की कुल संख्याः–A. छात्र.....................B. छात्रा...............................
6. पाठ्यक्रम का नाम :–..........................................................................................
7. पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि :–..................................................................................
8. कोचिंग संस्थान में कार्यरत शिक्षक/गैर शिक्षक कर्मी का विवरण (शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का पूर्ण ब्यौरा (अलग से अनुलग्नक दे):–...............................................................
9. भौतिक अधिसंरचनाः–..........................................................................................

   A. वर्ग कक्षों की कुल संख्याः–.....................................................................

   B. बेंच–डेस्क की कुल संख्याः–.....................................................................

   C. कक्षों में विद्युत की व्यवस्था है अथवा नहींः–...............................................

   D. पेय जल की सुविधा (पूर्ण विवरण):–.....................................................

   E. शौचालय की सुविधा (छात्र/छात्रा के लिए अलग–अलग):–................

   F. जल–मल निकासी और स्वच्छतता की सुविधाः–......................................

   G. अग्निशमन की व्यवस्थाः–.........................................................................

   H. आकस्मिक चिकित्सा सुविधाः–.................................................................

   I. साईकिल/वाहन पार्किंग की सुविधा :–.......................................................

1. नोटः— आवेदन निबंधन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल के लेखा एवं योजना शाखा में पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक प्रतिदिन (अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्राप्त किया जायेगा।
2. आवेदन में वर्णित तथ्यों की जाँच संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा के द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच हेतु आवेदन संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर दी जायेगी।
3. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त जाँच को निबंधन समिति के बैठक में रखा जायेगा एवं निबंधन की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
4. समिति के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद निबंधन हेतु 5,000/— (पाँच हजार) रू0 का चालान निबंधन शुल्क के रूप में जमा करना होगा (चालान की मूल प्रति संलग्न करना है)।
5. चालान की राशि निम्नलिखित शीर्ष/उपमुख्य शीर्ष /लघुशीर्ष/उपशीर्ष में जमा की जायेगी।
   - मुख्य शीर्ष—0202— शिक्षा खेल कूद।
   - उपमुख्य शीर्ष—01—सामान्य शिक्षा।
   - लधुशीर्ष —600—सामान्य।
   - उपशीर्ष 0002 कोचिंग संस्थानों का निबंधन एवं नवीकरण।
7. शास्ति शुल्कः—
   - मुख्य शीर्ष—0202— शिक्षा खेल कूद।
   - उपमुख्य शीर्ष—01—सामान्य शिक्षा।
   - लधुशीर्ष —600—सामान्य।
   - उपशीर्ष— 0003 कोचिंग संस्थानों का शास्ति शुल्क।
8. निबंधन, निबंधन की तिथि से तीन वर्षों के लिए होगा।
9. निबंधन का नवीकरण हेतु विहित प्रपत्र में पुनः 3000/— रूपये का चालान निबंधन शुल्क के रूप में देना होगा।
10. कोचिंग संस्थान (नियंत्रण विनियमन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में निम्नलिखित शास्तियाँ दी जा सकती हैं:—
   - प्रथम अपराध —25,000/— रूपया।
   - द्वितीय अपराध 1,00,000/— रूपया।
   - तृतीय अपराध नियमानुसार निबंधन रद्द।
11. प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष दण्ड के विरूद्ध 30 दिनों के अन्दर अपील दायर किया जा सकता है। प्रमंडलीय आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।
12. अनुलग्नकों का पूर्ण विवरणः—

कोचिंग संस्थान के प्रबंधक का पुरा नाम
अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, हस्ताक्षर एवं मोबाईल नम्बर

..............................................................................................................................

## प्राप्ति रसीद

श्री/श्रीमती.......................................(प्रबंधक का नाम) से...........................................(कोचिंग संस्था का नाम) के

निबंधन हेतु दिनांक................................................ को आवेदन (आवेदन शुल्क सहित/शुल्क रहित) प्राप्त किया

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर
(नाम एवं पता)